जागृत आदिवासी दलित संगठन

मध्य प्रदेश

दिनांक
12.07.21

प्रति,

1. जिला कलेक्टर महोदय, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश
2. पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश,
3. मुख्य वन संरक्षक महोदय, खंडवा वृत्त, मध्य प्रदेश

<u>विषय: ग्राम नेगांव जामनीय पंचायत में वन अधिकार दावेदारों की अवैध बेदखली, गिरफ्तारी, अपहरण एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की अवैध गिरफ्तारी, अपहरण एवं अवैध हिरासत की कार्यवाही बाबत शिकायत</u>

महोदय,

हम इस पत्र के माध्यम से ग्राम नेगांव पंचायत जामनीय के वन अधिकार दावेदारों पर हुई अवैध कार्यवाही के बारे में अवगत कर कार्यवाही की मांग करते है। दिनांक 10.07.21 को वन विभाग के द्वारा ग्राम नेगांव (जामनिया) के वन अधिकार दावेदारों को बेदखल करने की अवैध कार्यवाही की गई, जिसमे जेसीबी द्वारा लोगो के घरों को तोड़ा गया, ट्रैक्टर द्वारा खेत पर खड़ी फसल नष्ट कर जहरीले रसायन छीटें गए, तथा उपस्थित वन अमले, पुलिस बल और उनके द्वारा आस पास के गांवों से लाये गए भीड़ द्वारा आदिवासीयों के घर के सामाग्री, उनके पैसे और उनके मुर्गे, बकरी और अन्य संसाधनों की भी लूट की गई। दो गाय के बछड़े एवं दो बकरियों के बच्चे कार्यवाही के दौरान मारे गए। आदिवासियों के घर तोड़े जाने तथा उनके फसल नष्ट किए जाने की इस कार्यवाही में **वन अधिकार अधिनियम** का उल्लंघन किया गया, **मध्य प्रदेश शासन के दिनांक 01 मई 2019 के आदेश का उल्लंघन** किया गया, तथा **मध्य प्रदेश के उच्चतर न्यायालय WP no. 8820/2021 के दिनांक 23.04.21 तथा 15.06.21 के आदेश का भी उल्लंघन** किया गया। इस अवैध कार्यवाही के दौरान, बलपूर्वक स्थानीय दावेदारों को अवैध हिरासत में लिया गया तथा मौके पर पहुंचे अन्य ग्रामों के सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी बलपूर्वक अवैध हिरासत में लिया गया, तथा उनके फोन भी छीन कर चोरी किए गए।

म.प्र. वन विकास निगम के डीएफ़ओ चरण सिंह (वन निगम) के नेतृत्व में यह पूर्णतः अवैध कार्यवाही की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है -

संक्षिप्त घटनाक्रम:

दिनांक 10.07.21 को वन विभाग, पुलिस बल एवं बाहर से लाये गए भीड़ के साथ 400 से भी अधिक व्यक्तियों तथा 6 जेसीबी तथा 10-15 ट्रैक्टर द्वारा ग्राम नेगांव के वन अधिकार दावेदारों को अवैध रूप से बेदखल करने की कार्यवाही हेतु एकत्रित हुए। वन विभाग अधिकारियों द्वारा कुछ व्यक्तियों को पास में बुलाकर मारपीट कर जबरन वन कार्यालय मे बंधक बना कर रखा गया। ग्राम पंचायत जामनीय निवासी रामलाल पिता बोदु, सेकरिया पिता हरसिंग तथा महेश पिता नंदराम को वन विभाग द्वारा मारपीट कर जबरदस्ती वन विकास निगम कार्यालय खंडवा ले जाया गया। अवैध बेदखली की जानकारी लेने जब कुछ समय बाद मौके पर जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता - रमेश जाधव एवं अमरसिंग रजान (निवासी पंचायात हिरपुर) एवं नितिन वर्गीस (निवासी खंडवा) करीब दोपहर 12 बजे मौके पर पहुंचे। कार्यवाही के बारे में जानकारी लेते समय वन अधिकार कानून एवं राज्य शासन एवं मध्य प्रदेश के उच्चतर न्यायालय के आदेश की बात करने के कारण

वन अमले द्वारा इन तीन व्यक्तियों को घेर कर, मारपीट कर उनसे उनके फोन छीने गए तथा ज़ोर-जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर खंडवा के वन विकास निगम के कार्यालय में 2 बजे तक लाया गया। जहां पर जामनिया निवासी रामलाल पिता बोदु, महेश पिता नंदराम तथा सेकरिया पिता हरसिंग पहले से मौजूद थे जिनके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे।

12 घंटे की अवैध हिरासत के दौरान, 1) जामनिया निवासियों द्वारा कोरे कागज पर ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए। 2) अधूरे गिरफ्तारी पंचनामों में हस्ताक्षर करवाए गए एवं धारा 41 - क के नोटिस पर हस्ताक्षर एवं अंगूठा लेने के बाद, प्राप्ति नहीं उपलब्ध की गई। 3) महेश पिता नंदराम, रमेश जाधव और नितिन के छीने गए मोबाइल की जप्ती नहीं दर्ज की गई। 4) 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी की धाराए भी नहीं बताई गई एवं अधूरे तथा असत्य पंचनामों में हस्ताक्षर एवं अंगूठा लगाने का दबाव दिया जाता रहा। 5) सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सगे- संबंधियों को सूचना नहीं दिया गया।

इस घटनाक्रम में निम्न रूप से वन विभाग सहित पुलिस बल एवं प्रशासन द्वारा विधिवत प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है –

1) **अवैध बेदखली कार्यवाही–**

   i. **<u>मध्य प्रदेश के उच्चतर न्यायालय के WP क्र. 8820/2021 के दिनांक 23.04.21 तथा 15.06.21 के आदेश के अनुसार किसी भी सरकारी विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के उसकी काबिज भूमि पर से बेदखल करने की कार्यवाही 15.07.2021 नहीं की जा सकती है।</u>**

   ii. **वन अधिकार अधिनियम 2006**, धारा 4(5) के अनुसार, **कानून अनुसार मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया समाप्त नहीं होने तक किसी को वन भूमि से हटाया या बेदखल नहीं किया जा सकता है। 01 मई 2019 के मध्य प्रदेश शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश में स्पष्ट है कि किसी भी दावेदार को म.प्र. 'वनमित्र' प्रक्रिया द्वारा वन अधिकार अधिनियम की प्रक्रिया विधिवत रूप से पूरी हो जाने तक किसी भी दावेदार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है।**

   iii. **बेदखली से पहले कोई सूचना नहीं दिया गया था। दि 11.1.21 के नोटिस का पीड़ित परिवारों ने 15.1.21 को लिखित जवाब दिया था. जिसके बाद के कार्यवाही की कोई सूचना नहीं दी गई।**

   वन विभाग द्वारा बेदखली कार्यवाही अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (2006) [वन अधिकार अधिनियम], तथा मध्य प्रदेश के उच्चतर न्यायालय के आदेश (दि 23.04.21 व 15.06.21) तथा मध्य प्रदेश शासन के आदेश (01.05.2019) का स्पष्ट उल्लंघन करती है, अतः यह पूर्ण रूप से अवैध है।

   इस मामले में कार्यवाही नहीं होने के स्थिति में हम व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

2) **अवैध "गिरफ्तारी" कर अपहरण कर बंधक बना कर रखा जाना** –ग्राम जामनिया के तीन निवासियों - रामलाल पिता बोदु, महेश पिता नंदराम को नाकेदार पटेल, नाकेदार पवार, नाकेदार गंगराडे एवं वन सुरक्षा समिति रोहिणी के अध्यक्ष तथा 5-6 अज्ञात वन अमले द्वारा लात, घूसों एवं लट्ठ से मारा गया। जागृत आदिवासी दलित संगठन के सामाजिक कार्यकर्ताओं को उठाए जाने के समय वन विभाग द्वारा रमेश जाधव को लट्ठ से पैर पर तथा सभी तीन कार्यकर्ताओं को पीछे से घुसे मारे गए एवं थप्पड़ मारे गए, जिसके बाद ज़ोर जबरदस्ती उन्हे गाड़ी में डाला गया। किसी को भी हिरासत के

स्थान, अपराध अथवा धाराओं की कोई जानकारी नहीं दी गई। **सर्वोच्च न्यायालय के "डी.के. बसु दिशा-निर्देशों" के अनुसार किसी भी व्यक्ति के गिरफ्तारी के समय –**

i. मौके पर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया जाना चाहिए, जिसमे गिरफ्तारी का समय एवं स्थान हो तथा उस पर किसी साक्ष्य का हस्ताक्षर हो।

ii. गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को अपने परिवार अथवा अन्य करीबी व्यक्ति को गिरफ्तारी का स्थान एवं हिरासत के स्थान के बारे में अवगत करने दिया जाना चाहिए।

iii. अपराध का विवरण, धाराओं की सूचना जैसी महत्वपूर्ण जानकारी आरोपी को दिया जाना चाहिए।

iv. किसी भी आरोपी के साथ शारीरिक प्रताड़णा नहीं की जानी चाहिए।

इस मामले में उपरोक्त सभी 6 व्यक्तियों पर हुई कार्यवाही में सूप्रीम कोर्ट के "डी.के. बसु" दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया।

3) अवैध हिरासत: वन विभाग के पास किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वन क़ानूनों के अंतर्गत हिरासत में रखने का अधिकार नहीं है। यह तथ्य निम्न क़ानूनों से स्पष्ट है –

i. **वन अधिनियम 1927 की धारा 64(2) में स्पष्ट है कि – किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत, बिना अनावश्यक विलंब के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अथवा पुलिस के सुपुर्द करना अनिवार्य है, परंतु इस मामले में सभी 6 व्यक्तियों को 8-10 घंटों के लिए अवैध हिरासत में एक शासकीय कार्यालय में बंद रखा गया। तथा ग्राम जामनिया के निवासियों के हाथ रस्सियों से बांधे गए।**

ii. **<u>केवल पुलिस एक अधिकृत हिरासत केंद्र में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आरोपी को विशेष परिस्थिति में अधिकतम 24 घंटों तक रक रख सकती है, वन विभाग के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है।</u>**

iii. **अवैध हिरासत में रखे गए व्यक्तियों से कोरे कागजो पर हस्ताक्षर एवं अंगूठे लगवाए गए, तथा अधभरे एवं असत्य पंचनामों पर गैर कानूनी दबाव देकर हस्ताक्षर करवाए गए।**

iv. **अवैध हिरासत में रखे गए व्यक्तियों को छोड़ने से पहले CrPC की धारा 41 (क) के नोटिस की प्राप्ति पर सभी से हस्ताक्षर करवाए गए परंतु किसी को भी धारा 41(क) की नोटिस नहीं दी गई।**

v. अवैध हिरासत से छोड़े जाने पर वन अमले द्वारा रमेश जाधव, महेश पिता नंदराम एवं नितिन से छीने गए मोबाइल नहीं लौटाए गए है, तथा न ही उनका विधिवत जप्तीनामा बनाया गया है। इस संबंध मे 11.07.2021 को थाना सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत दिया गया है।

4) ग्राम जामनिया के वन अधिकार दावेदारों के हुए नुकसान के संदर्भ में-

ग्राम जामनिया के सभी 40 परिवार छोटे एवं सीमांत आदिवासी किसान है जो कि खेती और मजदूरी पर जीवन व्यापन करते है। वन विभाग द्वारा अवैध कार्यवाही के कारण, बोनी के समय, उनके कमाई का एकमात्र जरिया नष्ट किए जाने के बाद इन परिवारों के पास अपने बदन पर रह गए कपडों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। वन विभाग की अवैध बेदखली कार्यवाही के दौरान, इन परिवारों के खेतों पर मक्का, सोयाबीन, जोवार, मूंग, तुअर, उड़द, तिल्ली, मूँगफली की खड़ी फसलों को नष्ट किया गया, 40 घरों को सामान सहित तोड़ कर पूरी तरह से नष्ट किया गया। टूटे हुए घरों से पैसे एवं बचे

कूचे सामाग्री जैसे बर्तन, कपड़े एवं अनाज वन विभाग के साथ में लाये गए भीड़ द्वारा लूटा गया, तथा कई परिवारों के जानवर जैसे मुर्गियाँ, बकरे और गाय चोरी कर लिए गए है अथवा कार्यवाही के दौरान मारे गए है। ग्राम जामनीया के परिवारों को हुए पूरे नुकसान का विस्तृत विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है।

5) **ग्राम जामनीय केदावेदारों के न्यायालय में विचाराधीन केस:**
ग्राम नेगांव पंचायत जामनीय निवासियों के बार-बार हिंसक बेदखली के खिलाफ में मध्य प्रदेश के उच्चतर न्यायालय के W.P. नं. 19619/2017 में मामला विचाराधीन है, और कोर्ट के फैसले के इंतेजार किए बिना यह अवैध बेदखली कार्यवाही की गई है।

अतः हम आपसे मांग करते है कि-

1. **अवैध कार्यवाही का नेतृत्व कर रहे मध्य प्रदेश वन विकास निगम,जिला खंडवा के वन मण्डल अधिकारी चरण सिंह पर एवं अन्य सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर आदिवासियों को अवैध रूप से बेदखल करने के लिए अत्याचार अधिनियम 3(1)(g), 3(1)(r), 3(1)(z) एवं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत केस दर्ज कर अतिशीघ्र कार्यवाही की जाए।**
2. आदिवासियों की अवैध गिरफ्तारी कर अपहरण कर, हिरासत में मारपीट करने वन मण्डल अधिकारी चरण सिंह, वन अमला पटेल नाकेदार, पवार नाकेदार, गंगराडे नाकेदार, के दुबे नाकेदार, रोहिणी के वन सुरक्षा समिति अध्यक्ष एवं सभी अन्य दोषी अमले पर भारतीय दंड संहिता के धाराओं के अलावा अंतर्गत अत्याचार अधिनियम के 3(2)(va) के तहत मारपीट, अपहरण, डकैती के अंतर्गत केस दर्ज कर अतिशीघ्र कार्यवाही की जाए।
3. इस कार्यवाही के दौरान आदिवासियों के पैसे और संसाधन, जैसे मुर्गियाँ, बकरियाँ, मवेशी, बर्तन एवं अन्य घरेलू सामान, कागजात, इत्यादि लूटने और नष्ट करने वाले वन अमले और गाँव रोहिणी, भामझड़, सलाई, भेरूखेड़ा और जामनिया के निवासियों पर भारतीय दंड संहिता के धाराओं के अलावा अंतर्गत अत्याचार अधिनियम के 3(2)(va) के तहत डकैती के अंतर्गत केस दर्ज कर अतिशीघ्र कार्यवाही की जाए।
4. आदिवासियों को अवैध रूप से बेदखल कर उनके आजीविका को खत्म करने, उनके सभी संसाधनों एवं सामाग्री को नष्ट करने एवं उसकी लूट में लिप्त प्रशासन द्वारा अतिशीघ्र गरीब आदिवासी परिवारों पर किए गए नुकसान के लिए के लिए मुआवजा दिया जाए एवं खाद्यान सामाग्री प्रदान की जाए।
5. सभी अवैध रूप से अपहरण किए गए एवं हिरासत में लिए गए व्यक्तियों द्वारा असत्य बयान, दबाव देकर भरवाए गए पंचनामे, तथा धारा 41 - क के नोटिस जिसकी प्राप्ति नहीं दी गई, सभी अवैध कार्यवाही के कागज़ निरसत किए जाए।
6. अवैध रूप से गिरफ्तार व अपहरण किए गए रमेश जाधव, महेश पिता नंदराम और नितिन के वन अमले द्वारा बिना जप्तीनामा बनाए चोरी किए गए मोबाइल फोन अतिशीघ्र लौटाए जाए एवं चोरी करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए।
7. वन विभाग को वन अधिकार अधिनियम, उच्चतर न्यायालय मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश सरकार के बेदखली विधिवत प्रकारिया पूरी हो जाने तक बेदखली पर लगी रोक का पालन करने के सख्त निर्देश जारी किए जाए एवं इसका उल्लंघन करने वाले अधिकारियों एवं अमले पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए।

जागृत आदिवासी दलित संगठन की ओर से,

नितिन वर्गीस

माधुरी

अंतराम अवासे